तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम और हुक्म की तामील में जारी हुए
	95/पी/6 धारा/2022 212 R.T. Act अशोक / मोहनलाल	
14/5/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक → 28/05/2025 को पेश हो।	
28/5/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 31, 32, 33, 34, 38, 39, 53, 56 कुल किता 8 कुल रकबा 1.4809 हैक्टेयर ग्राम तुरकडी अप्रार्थी मोहनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 268, 269 कुल किता 2 कुल रकबा 2. 3553 हैक्टेयर ग्राम तुरकडी अप्रार्थी मोहनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादित भूमियॉ जमाबंदी सम्वत 2069—72 की खाता संख्या 40 में प्रेम आ0 भंवरलाल ब्राहम्ण के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के दादाजी मृतक प्रेम जी का सजरा प्रार्थना पत्र में अंकित है। उक्त विवादित भूमियॉ प्रार्थी के दादाजी की भूमियॉ होने से उक्त भूमियों में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है। उक्त भूमिया प्रार्थी के दादाजी का देहान्त हो जाने से प्रार्थी के पिता मोहन के नाम दर्ज हो जाने से वह हमें हमारे जन्म से निहित हम व अधिकार को नहीं देकर हमें अपने अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अन्य तथ्य प्रकरण में विस्तृत अंकित है। प्रार्थी को अधिकार है कि वह अपने दादाजी से अपने पिता मोहन को प्राप्त हुई पैतृक भूमि मोहनलाल के नाम दर्ज 1/20 हिस्से में से स्वयं को 1/5 हिस्सा घोषित करवाकर हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर पृथक खाता कायम करवावे तथा अप्रार्थी 1 लगायत 4 को प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर काश्त करने में दखलंदाजी नहीं करने, बेदखल नही करने से पाबंद करावे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थना	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्र में दर्ज अनुसार दिलायी जावे। समर्थन में विनिर्णय 2014 (1) आर0आर0टी0 पेज नम्बर–1 सुप्रीम कोर्ट, 2020 (2) आर0आर0टी0 पेज नम्बर 999 पेश किए है।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया कि प्रथम दृष्ट्या मामला खारिज योग्य है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त होना स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अपनी दादी व अपनी मॉ को पक्षकार नहीं बनाया है। आवश्यक पक्षकारों का अभाव होने से भी खारिज योग्य है। विवादित भूमि में जन्म से अधिकार होना व हकों की घोषणा होना अस्वीकार है। विवादित भूमियॉ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित है जिन पर अप्रार्थी काबिज काश्त है। भूमियॉ पैतृक नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या केस साबित नहीं होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की नहीं होने, सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 66, 73 में अंकित भूमियॉ ग्राम तुरकडी अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 66 में अंकित खसरा नम्बरान 31, 32, 33, 34, 38, 39, 53, 56 कुल किता 8 कुल रकबा 0.4809 हैक्टेयर व खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 268, 269 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3553 हैकटेयर वाके ग्राम तुरकडी पटवार मण्डल गुढा अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 66 में अंकित खसरा नम्बरान 31, 32, 33, 34, 38, 39, 53,

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए
	56 कुल किता 8 कुल रकबा 0.4809 हैक्टेयर व खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 268, 269 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3553 हैकटेयर वाके ग्राम तुरकडी पटवार मण्डल गुढा अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से व अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों से अपने खाते व कब्जे की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बन रहा है। 3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 66 में अंकित खसरा नम्बरान 31, 32, 33, 34, 38, 39, 53, 56 कुल किता 8 कुल रकबा 0.4809 हैक्टेयर व खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 268, 269 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3553 हैकटेयर वाके ग्राम तुरकडी पटवार मण्डल गुढा अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से खातेदार को पाबंद कर दिए जाने से प्रार्थी के स्थान पर तुलनात्मक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति ज्यादा होगी। विवादित भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की कोई संभावना नहीं बनी हुई है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	